



झारखण्ड विधान सभा

षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा

षष्ठम् (मानसून) सत्र

कार्य सूची

10 अगस्त , 2026

11:00:00

1. प्रश्नोत्तर

- (1) सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (2) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

2. शून्यकाल की सूचनाएँ ।

3. ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य

- (1) श्री मथुरा प्रसाद महतो, श्री निरल पुरती एवं मो० ताजुद्दीन स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक-07.08.2026 से स्थगित)

- (2) श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक-07.08.2026 से स्थगित)

- (3) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह एवं प्रो० स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक-07.08.2026 से स्थगित)

- (4) सर्वश्री अरूप चटर्जी, उदय शंकर सिंह एवं श्री समीर कुमार मोहन्ती संविंसं की ध्यानाकर्षण- सूचना तथा उस पर सरकार (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक-07.08.2026 से स्थगित)

- (5) श्री राज सिन्हा संविंसं की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक-07.08.2026 से स्थगित)

- (6) श्रीमती मंजू कुमारी संविंसं की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

- (7) श्रीमती श्वेता सिंह संविंसं की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उद्योग विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

- (8) श्री अनन्त प्रताप देव संविंसं की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

- (9) डॉ० लुईस मराण्डी एवं श्री विकास कुमार मुण्डा संविंसं की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

- (10) श्री चन्द्रदेव महतो संविंसं की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उद्योग विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

4. समितियों का गठन

- (1) झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

5. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

- (1) राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री दीपक बिरुआ द्वारा झारखण्ड संस्था निबंधन नियमावली, 2025 की प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।
- (2) झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

6. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

7. वित्तीय-कार्य

- (1) वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।

{ कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है। }

8. राजकीय (वित्त) विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2026

- (1) प्रभारी मंत्री वित्त श्री राधाकृष्ण किशोर, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (2) प्रभारी मंत्री वित्त श्री राधाकृष्ण किशोर, "झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2026" को परःस्थापित करेंगे।
- (3) प्रभारी मंत्री वित्त श्री राधाकृष्ण किशोर, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2026" पर विचार हो।
- (4) प्रभारी मंत्री वित्त श्री राधाकृष्ण किशोर, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो।

9. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

राँची - 834004
दिनांक: 10 अगस्त 2026

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा